बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

संख्या–नि0को0 पटना–2049/2013– 653 (3)/रा0, दिनांक– 17 /07/2013

प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना के ज्ञापांक–2987/D दिनांक–13.05.2013 के द्वारा जिला समाहर्त्ता, पटना एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दी गयी। यह पत्र मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा अन्तर्गत मौजा, डुमरी में वियाडा के द्वारा अर्जित भूमि के दखल–कब्जा के सम्बन्ध में है।

2. उक्त पत्र के द्वारा प्रबंध निदेशक ने सूचित किया कि मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा के स्थापनार्थ मौजा–डुमरी, रकवा–211.41 एकड़ अर्जित भूमि का स्वामित्व जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना द्वारा दिनांक–05.03.2012 को बियाडा को सौंपा गया है। इसी भूमि में से 100 एकड़ भूमि का भौतिक स्वामित्व NIT को दिया गया है।

3. प्रबंध निदेशक बियाडा ने सूचित किया कि दिनांक–10.05.2013 को पूर्वाह्न–11:30 बजे श्री अयोध्यानाथ शुक्ला अंचल अधिकारी बिहटा स्थल पर पहुँचे। अंचलाधिकारी, बिहटा द्वारा अविलम्ब कार्य पर रोक लगाते हुए बियाडा के पदाधिकारियों को भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ स्थल पर आने को कहा गया। जब बियाडा के पदाधिकारियों द्वारा अंचलाधिकारी को भू–अर्जन से प्राप्त दखल–कब्जा सम्बन्धी दस्तावेज दिखाया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि यह मात्र कागजी दखल–कब्जा है, यह नहीं चलेगा। साथ ही समतलीकरण के दौरान काटे गए मेड़ को दिनांक–11.05.2013 तक निश्चित रूप से भरवाने तथा वापस लौट जाने के निदेश वियाडा के पदाधिकारियों को दिया गया। अंचल अधिकारी बिहटा का रवैया पूर्णतः असहयोगात्मक था। उन्होंने इसी क्रम में सूचित किया कि इन तथ्यों की पुष्टि पत्र के साथ संलग्न सी0डी0 (Video) से की जा सकती है।

4. प्रबंध निदेशक वियाडा ने समाहर्त्ता, पटना/आरक्षी अधीक्षक, पटना से अंचलाधिकारी, बिहटा पर कार्य मे बाधा पहुँचाने पर कानूनी कार्रवाई करने एवं उन्हें तत्काल निलम्बित करने की आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

5. प्रबंध निदेशक वियाडा, पटना के पत्रांक–2987 दिनांक–13.05.2013 के आलोक में समाहर्त्ता, पटना ने अपने पत्रांक–2025 दिनांक–14.06.2013 के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रतिवेदित किया कि स्पष्ट होता है कि अचलाधिकारी, बिहटा का उक्त कृत्य बिहार सेवा संहिता में पदाधिकारियों के आचरण एवं दायित्वों के लिए निर्धारित मानदण्डों के विपरीत है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में समाहर्त्ता, पटना ने अंचल अधिकारी बिहटा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए पटना जिला से अन्यत्र दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरित करने की अनुशंसा की।

समाहर्त्ता, पटना के अनुसार प्रबंध निदेशक, बियाडा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सी0डी0 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि, श्री अयोध्यानाथ शुक्ला, अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आम लोगों के साथ मिलकर सरकारी कार्य बाधा डाला जा रहा था।

6. उपर्युक्त प्रतिवेदित तथ्यों के आलोक में समाहर्त्ता, पटना को विभागीय पत्रांक–650 नि0को0 दिनांक–12.07.2013 के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा के विरूद्ध विभिन्न आरोपों के आलोक में आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर साक्ष्य तालिका के साथ पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर विशेष दूत के द्वारा विभाग में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया, ताकि अंचलाधिकारी श्री शुक्ला के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जा सके।

7. प्रबन्ध निदेशक वियाडा ने पुनः अपने ज्ञापांक–5056 दिनांक–12.07.2013 के द्वारा यथा उल्लिखित भूमि के दखल कब्जा कराने में अंचल अधिकारी बिहटा द्वारा सरकार के हितों के प्रतिकूल भूमिका निभाने के सम्बन्ध में अंचल अधिकारी बिहटा के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रतिलिपि विभाग को उपलब्ध करायी। इस पत्र में भी उल्लेखित किया गया है कि प्रशासन की ओर से दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त अंचल अधिकारी, बिहटा के द्वारा सरकार के हितों के प्रतिकूल भूमिका निभाई गयी थी। इस कारण इनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

8. उक्त के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा विषयगत मामले में सम्यक विचारोपरान्त श्री अयोध्यानाथ शुक्ला, अंचल अधिकारी, बिहटा, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(i) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

9. निलंबन अवधि में श्री शुक्ला को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(i) के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

10. निलंबन अवधि में श्री शुक्ला का मुख्यालय, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव

फैक्स **ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013–** 653 नि0को0 (3)/रा0, दिनांक– 17 /07/2013
निबंधित प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पटना को उनके पत्रांक–2025 दिनांक–14.06.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. समाहर्त्ता, पटना से अनुरोध है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बिहटा अंचल के निकटवर्त्ती अंचल के अंचलाधिकारी को बिहटा अंचल का प्रभार देना सुनिश्चित करेंगे।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव

D:\Sanjeev\Sec-3\2012-13\Order\Order-17.07.13 sec.-3-I.doc

<u>फैक्स</u> ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013– 653 नि0को (3)/रा0, दिनांक– 17 /07/2013

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना को उनके ज्ञापांक–2987/डी0 दिनांक–13.05.13 एवं ज्ञापांक–5056 दिनांक–12.07.2013 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव

<u>विशेष दूत</u> ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013– 653 नि0को (3)/रा0, दिनांक– 17 /07/2013

प्रतिलिपिः–कोषागर पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013– 653 नि0को (3)/रा0, दिनांक– 17 /07/2013

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 03 एवं 04, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013– 653 नि0को (3)/रा0, दिनांक– 17 /07/2013

प्रतिलिपिः–श्री अयोध्यानाथ शुक्ला, अंचल अधिकारी, बिहटा, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव